आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 262/D/AE(T)/2020 .... दिनांक : 19/10/2019

मैसर्स ....समस्त हॉट मिक्स प्लान्ट धारक फर्म

प्रो0 ....

....

....

आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में हॉटमिक्स श्रेणी के कार्यो हेतु नवीनीकरण/पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है। जैसा कि आप अवगत है कि आगरा शहर ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 2503/ओजी-27/2020 दिनांक 05.10.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके विभाग द्वारा किसी हॉटमिक्स प्लांट को अनुमति निर्गत नहीं की गयी है।

तदक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपनी फर्म का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं इस आशय का शपथ-पत्र कि आपका हॉटमिक्स प्लांट ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत नहीं आता है, दिनांक 30.10.2020 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपकी फर्म का नवीनीकरण/पंजीकरण हॉटमिक्स की श्रेणी में अनुमन्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भवन संख्या-14, सेक्टर-3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा को सूचनार्थ।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि फर्म द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही हॉटमिक्स प्लांट श्रेणी की निविदा में भाग लेने हेतु अनुमन्य किया जाये।

मुख्य अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।